

समान ध्वस्तीकरण दशा-नरिदेशों की मांग

प्रलिमिंस के लयि:

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [प्रतकिरपरक न्याय](#), [अनुच्छेद 300A](#), [अनुच्छेद 21](#), [जनिवा कन्वेंशन](#), [वधिका शासन](#),

मेन्स के लयि:

न्यायपालिका, वधिका शासन, ध्वस्तीकरण अभयान और वधिका शासन, ध्वस्तीकरण अभयान के वरिद्ध वधि, नरिणय और मामले ।

[स्रोत: इंडयिन एक्प्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

[भारत के सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने हाल ही में [संपत्ति/भवन-ध्वस्तीकरण](#) को वनियमिति करने के लयि राष्ट्रव्यापी दशा-नरिदेश जारी करने के अपने उद्देश्य की घोषणा की, यह कदम 'बुलडोजर न्याय' की प्रथा पर बढ़ती चतिओं से प्रेरति है ।

- SC का हस्तक्षेप मनमाने और संभावति रूप से अन्यायपूर्ण ध्वस्तीकरण को रोकने के लयि मानकीकृत उचति प्रक्रया की बढ़ती आवश्यकता को उजागर करता है ।

नोट:

- बुलडोजर न्याय, एक शब्द है जो प्रायः अपराधों के आरोपी लोगों की संपत्तियों/भवनों/प्रतिष्ठानों को कभी-कभी उचति कानूनी प्रक्रयाओं का पालन कयि बना ध्वस्त करने की प्रथा को संदर्भति करता है ।

</div?

सर्वोच्च न्यायालय संपत्ति-ध्वस्तीकरण पर क्यो वचिर कर रहा है?

- इस नरिणय का संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय का यह नरिणय व्यापक रूप से ऐसी रपिर्टों के बीच आया है कि संपत्ति-ध्वस्तीकरण को [दंडात्मक न्याय](#) (जसि प्रतशिधात्मक न्याय भी कहा जाता है) के रूप में प्रयोग कयि जा रहा है ।
 - स्थानीय राज्य सरकारों ने अपराध के आरोपी वयक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त करने के लयि बुलडोजर का सहारा लयि है, जो प्रायः स्थापति कानूनी प्रक्रयाओं को दरकिनार कर देते हैं ।
- सर्वोच्च न्यायालय की प्रतकिरया: सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दयि कि केवल आरोपों या दोषसदिधि के आधार पर संपत्ति को ध्वस्त करना [उचति प्रक्रया और प्राकृतिक न्याय](#) के सिद्धांतों का उल्लंघन है । इस प्रथा ने इसकी वैधता और नषिपक्षता के संदर्भ में चतिाएँ उत्पन्न की हैं ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने उचति कानूनी प्रक्रयाओं के बना संपत्ति को ध्वस्त करने की प्रथा की आलोचना की । उन्होंने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि [दोषसदिधि भी कानूनी मानदंडों का पालन कयि बना ध्वस्तीकरण को उचति नहीं ठहराती है](#) ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि सभी राज्यों में नषिपक्ष और लगातार ध्वस्तीकरण सुनिश्चति करने के लयि दशा-नरिदेशों की आवश्यकता है, वशिषकर अनधिकृत नरिमाणों से जुड़े मामलों में ।

दशा-नरिदेश ध्वस्तीकरण प्रथाओं को कसि प्रकार प्रभावति करेंगे?

- अखलि भारतीय दशा-नरिदेश: सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चति करने के लयि देश भर में लागू होने वाले व्यापक दशा-नरिदेश स्थापति करने की योजना बनाई है कि ध्वस्तीकरण कानूनी प्रक्रयाओं के अनुसार कयि जाए ।
 - ये दशा-नरिदेश नोटसि अवधि, कानूनी प्रतकिरयाओं के अवसर और दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं जैसे पहलुओं को कवर करेंगे ।
- मनमाने कार्यों को नयितरति करना: दशा-नरिदेशों का उद्देश्य मनमाने ढंग से कयि जाने वाले ध्वस्तीकरण जो न्यायेतर कारणों से प्रेरति हो

- सकते हैं, को रोकना है। प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके, सर्वोच्च न्यायालय को ध्वस्तीकरण प्रथाओं के दुरुपयोग को रोकने की उम्मीद है।
- **कानूनी तंत्र पर प्रभाव:** सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावित दशिया-नरिदेश 'बुलडोजर न्याय' की प्रवृत्ति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जाँच के रूप में कार्य कर सकते हैं।
 - उनसे संपत्ति के ध्वस्तीकरण के लिये एक समान कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करने की उम्मीद है, जो उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करता है।

ध्वस्तीकरण अभियान के संदर्भ में क्या चर्चाएँ हैं?

- **संवैधानिक:**
 - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A: इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान इस बात पर जोर देता है कि संपत्ति केवल उचित प्रक्रिया के बाद और वैध कानूनों के तहत ही छीनी जा सकती है।
 - संविधान का अनुच्छेद 21: गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को वधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
 - **बना उचित प्रक्रिया के तत्काल ध्वस्तीकरण**, सम्मानजनक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
 - अनुच्छेद 14 (वधि के समक्ष समानता): ऐसे ध्वस्तीकरणों, जो कुछ समुदायों (जैसे झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग) को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, भेदभावपूर्ण मानकर चुनौती दी जा सकती है।
 - अनुच्छेद 19 (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता): असहमति या आलोचना व्यक्त करने वालों को लक्षित करके दंडात्मक ध्वस्तीकरण को मुक्त अभिव्यक्ति अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है।
 - **वधि का शासन:** संविधान का एक मौलिक सिद्धांत जो यह अनिवार्य करता है कि **राज्य की कार्रवाईयें स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान के अनुरूप होनी चाहिये।**
 - **न्याय के बजाय दमन और नयितरण** के लिये कानूनी साधनों का दुरुपयोग वधिकाे शासन को कमजोर करता है। उचित प्रक्रिया के बिना संपत्तियों को ध्वस्त करने की प्रशासनिक प्रथा इस विरोधाभास को दर्शाती है जिसके लिये न्यायिक जाँच और हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- **जनिवा कन्वेंशन और अंतरराष्ट्रीय दायित्व:** जनिवा कन्वेंशन का अनुच्छेद 87(3) सामूहिक दंड पर रोक लगाता है। इस तरह के वधिवस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(3) का भी उल्लंघन करते हैं, जिसके अनुसार भारत को अंतरराष्ट्रीय संधियों और कानूनों का सम्मान करना चाहिये।
 - किसी भी सभ्य समाज की तरह भारतीय संविधान भी सामूहिक दंड की अवधारणा को मान्यता नहीं देता है।
 - किसी आरोपी के घर को ध्वस्त करके उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना वधि के शासन के अनुरूप नहीं है। राज्य न्याय की आड़ में **दूसरा अपराध करके प्रतिशोध नहीं ले सकता।**
- **अपरिवर्तनीय क्षति:** घर के ध्वस्त होने से **भावनात्मक और वित्तीय नुकसान** बहुत अधिक होता है। नरिदोष परिवार के सदस्य, जिनकी कथित अपराधों में कोई भूमिका नहीं होती, अनावश्यक रूप से पीड़ित होते हैं।
- **हाशिये पर पड़े समुदायों को लक्षित करना:** यह प्रथा अल्पसंख्यक और हाशिये पर पड़े समुदायों पर असंगत रूप से प्रभाव डालती है तथा सामाजिक विभाजन एवं मौजूदा असमानताओं को बनाए रखती है।
 - बुलडोजर न्याय के शिकार लोगों को **प्रायः पुनर्वास या मुआवजे के बिना छोड़ दिया जाता है**, जिससे उनकी पीड़ा तथा हाशिये पर जाने की स्थिति और भी बढ़ जाती है।
- **वश्वास का ह्रास:** यह प्रथा स्थापित वधि प्रक्रियाओं को दरकिनार करके राजनीतिक और कानूनी संस्थाओं में जनता के वश्वास को कमजोर करती है।

संपत्ति ध्वस्तीकरण से संबंधित अन्य न्यायिक फैसले क्या हैं?

- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला, 1978:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त वाक्यांश "**कानून की उचित प्रक्रिया**" के बजाय "**कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया**" है, जिसका अर्थ है कि प्रक्रियाएँ मनमानी और तर्कहीनता से मुक्त होनी चाहिये तथा न्यायसंगत, नष्पिपक्ष व गैर-मनमाना होनी चाहिये।
 - अतः संदेह या नरिधार आरोपों के आधार पर ध्वस्तीकरण, न्याय, नष्पिपक्षता और मनमानी न करने के सिद्धांतों का खंडन करता है।
- **ओल्गा टेलसि बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मामला, 1985:** सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि संविधान का अनुच्छेद 21, जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, उसमें **आजीविका और आश्रय का अधिकार शामिल है।** इस प्रकार बना उचित प्रक्रिया के घरों को ध्वस्त करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
- **के.टी. प्लांटेशन (P) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य मामला, 2011:** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 300-A के तहत संपत्ति से वंचित करने का प्रावधान करने वाला कानून न्यायसंगत, नष्पिपक्ष और उचित होना चाहिये।

स्थानीय कानूनों के तहत ध्वस्तीकरण के लिये दशिया-नरिदेश क्या हैं?

- **राजस्थान:** राजस्थान में ध्वस्तीकरण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 और राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के तहत वनियमित हैं।
 - **उचित प्रक्रिया आवश्यकताएँ:** कथित अपराधी को नोटिस दिये जाने की आवश्यकता होती है और संपत्ति जब्ती से पहले लिखित प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया जाता है।
 - यह नरिदिष्ट करता है कि **केवल एक तहसीलदार ही अंतर्धारियों को बेदखल करने** का आदेश दे सकता है, जिससे संपत्ति जब्ती से पहले

एक औपचारिक प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

- **मध्य प्रदेश:** मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 द्वारा शासित।
 - **उचित प्रक्रिया आवश्यकताएँ:** बिना अनुमति के नरिमति इमारतों को ध्वस्त करने की अनुमति देता है, लेकिन किसी भी ध्वस्तीकरण कार्रवाई से पहले मालिक को कारण बताने के लिये पूर्व सूचना देना अनिवार्य करता है।
- **उत्तर प्रदेश:** उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के तहत।
 - **उचित प्रक्रिया की आवश्यकताएँ:** ध्वस्तीकरण से पहले संपत्ति के मालिक को 15 से 40 दिनों की अवधि के भीतर जवाब देने के लिये नोटिस जारी करना आवश्यक है। मालिक को आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है।
- **दिल्ली:** दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (DMC अधिनियम) द्वारा विनियमित।
 - **उचित प्रक्रिया आवश्यकताएँ:** कुछ शर्तों के तहत बिना पूर्व सूचना के अनधिकृत संरचनाओं को हटाने की अनुमति देता है।
 - इसमें **मकान मालिक को ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती देने के लिये उचित अवसर देने** का प्रावधान है तथा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की व्यवस्था भी प्रदान की गई है।
- **हरियाणा:** हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 द्वारा शासित।
 - **उचित प्रक्रिया की आवश्यकताएँ:** DMC अधिनियम के समान, लेकिन इसमें वधिवस शुरू करने हेतु कम अवधि (तीन दिन) का प्रावधान है। इसके लिये मालिक को आदेश के विरुद्ध तर्क करने का उचित अवसर की भी आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- **कानून के शासन को सुदृढ़ करना:** सभी राज्य को अपनी कार्रवाइयों में कानून का सख्ती से पालन करना चाहिये। भावनाओं या राजनीति से प्रेरित मनमाने ढंग से किये गए वधिवस कानून व्यवस्था और अधिकारों को कमजोर करते हैं। न्याय के लिये निष्पक्ष सुनवाई, उचित प्रक्रिया तथा स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, न कि त्वरित प्रतिक्रिया की।
 - राज्य की कार्रवाई **व्यक्तिगत अपराधियों पर लक्षित होनी** चाहिये, न कि पूरे परिवार या समुदाय पर। कानूनी व्यवस्था को अपराधिक न्याय को सामूहिक दंड से अलग करना चाहिये और नरिदोषता की धारणा को बनाए रखना चाहिये।
- **न्यायिक निगरानी को सुदृढ़ करना:** संपत्ति के वधिवस से संबंधित विवादों को निपटाने के लिये विशेष न्यायाधिकरण या अदालतें स्थापित की जानी चाहिये तथा इन न्यायाधिकरणों के पास सरकारी नरिण्यों की समीक्षा करने, निष्ठाज्ञा देने और उचित उपाय प्रदान करने का अधिकार होना चाहिये।
- **मौजूदा कानूनों की समीक्षा:** संपत्ति अधिकार, शहरी नियोजन और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मौजूदा कानूनों और नयियों की व्यापक समीक्षा करना ताकि किसी भी वसिगता या अस्पष्टता की पहचान की जा सके।
 - ध्वस्तीकरण को विनियमित करने के लिये **स्पष्ट राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों की आवश्यकता** है, ताकि उचित सूचना, सुनवाई और अपील के अवसर सुनिश्चित किये जा सकें।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान:** संपत्ति अधिकारों और वधिवस से संबंधित विवादों को हल करने के लिये **मध्यस्थता और पंचनरिणय जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों के उपयोग को बढ़ावा** देना।
- **पुनर्वास:** वधिवस से प्रभावित व्यक्तियों के लिये **व्यापक पुनर्वास योजनाएँ विकसित करना**, जिसमें वैकल्पिक आवास, आजीविका सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान शामिल हों।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में मनमाने ढंग से संपत्ति के वधिवस से उत्पन्न चुनौतियों और संपत्ति के वधिवस को विनियमित करने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिये।